



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में  
प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2019-20

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत)  
बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड.  
पाठ्यक्रमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी  
सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
भोपाल, मध्यप्रदेश

## मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत)  
बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों के  
प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 2019-20

### 1. प्रस्तावना

- 1.1 सामान्य एवं उद्देश्य-देश में अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों का विनियमन केंद्रीय अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में "अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों" के विनियमन के लिए "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014" प्रभावशील है। दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.), शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.), शारीरिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.), शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.), तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड., चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड.पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (सत्र 2019-20) में प्रवेश के लिए वर्ष 2019-20 की प्रवेश-प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से "मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2019-20" जारी किए जाते हैं। इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत उपरोक्त किसी कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियम, अध्यादेश, परिनियम एवं निर्देश लागू होंगे, बशर्ते कि राज्य-शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित विषय पर कोई विधिमान्य पृथक निर्देश जारी नहीं किए गए हों।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सिविल) 276/2012 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 एवं संशोधन दिनांक 26.6.2013 एवं आई.ए.एन.ओ.एस. 113 एवं 114/2014 की सिविल अपील 5914/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.8.2014 के परिप्रेक्ष्य में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्मित एवं व्याख्यायित किया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों, शारीरिक शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण विभागों में संचालित बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., एकीकृत बी.एड.-एम.एड., चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं

बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) पर प्रवेश के लिए "एम. पी. ऑनलाईन" के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न होगी। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। किसी आवेदक को संबन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु काउन्सलिंग में आवंटित शिक्षण-संस्था हेतु निर्दिष्ट हेल्प-सेंटर पर प्रवेश के समय उपस्थित आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्य एवं नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारीयों पूर्णतः सत्य हैं जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मेरिट-सूची/समेकित मेरिट-सूची के प्रावीण्य-क्रमांक एवं ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई शिक्षण-संस्थाओं की श्रेयता के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। अतः इन कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) को संचालित करने वाली शिक्षण-संस्थाओं का यह समग्र दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक उनकी शिक्षण-संस्था को अपनी व्यक्त की गई श्रेयता में उच्च क्रम पर रखें जिससे कि वर्तमान सत्र में उनकी संस्थाओं में पूर्ण आवंटन/प्रवेश हो सकें। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या नहीं लेना उनकी अभिरुचि पर निर्भर करता है।

## 1.2 अधिकार :

(अ) प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये राज्य शासन को पूर्ण अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये राज्य शासन पूरी तरह सक्षम है तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।

(ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रवेश-प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को रहेगा।

(स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक/आयुक्त, उच्च शिक्षा को अन्त्यवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(द) ऑनलाईन काउन्सलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

(ई) वर्तमान सत्र 2019-20 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में बी.एड महाविद्यालयों को निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर ही सम्मिलित किया जाएगा।

- (1) शुल्क विनियामक आयोग द्वारा प्रदत्त शुल्क निर्धारण की सूची में संबंधित महाविद्यालय का नाम।
- (2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता की सूची में संबंधित महाविद्यालय का नाम।
- (3) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संबद्धता सूची में संबंधित महाविद्यालय का नाम।

### 1.3 प्रभावशीलता :

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संबद्धता प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में "शिक्षण संस्था" कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार सत्र 2019-20 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 28 जून, 2019 तथा अकादमिक सत्र प्रारंभ करने की तिथि 01 जुलाई, 2019 निर्धारित है।

### 1.4 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन :

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम), बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड.पाठ्यक्रम आदि में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लेखित आरक्षण संबंधी कण्डिका तथा उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के

लिए आरक्षित रहेगा और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हेतु :

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25.08.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 5 अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 5436/2010 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। इसमें अजजा/अजा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्प संख्यक विद्यार्थियों को 01.01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या के 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक प्रत्याशियों से पूर्ति नहीं होती है, तो शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गैर अल्प संख्यक विद्यार्थियों से की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समझ महिला महाविद्यालय दर्ज है।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी : प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी -- (विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कडिकाओं में उपलब्ध है।) संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2019-20 के लिये निर्धारित शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही ऑन-लाईन 'काउंसलिंग' में शामिल किया जा सकेगा अन्यथा स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा।

01 : प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन-एम0पी0 ऑन-लाईन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण तथा महाविद्यालय की वरीयता (शुल्क सहित) व्यक्त किया जाना होगा।

02: दस्तावेजों के सत्यापन हेतु चिन्हित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना-

ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के साथ ही आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर, जो कि बयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं, (परिशिष्ट -3, 4 एवं 5) में दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन में प्रस्तुत जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन



कराना होगा। सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

03 : मेरिट सूची का प्रकाशन :

दस्तावेज सत्यापित करा चुके आवेदक अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं बी.पी.एड., एम.पी.एड. हेतु वांछित अन्य प्राप्तांकों (क्रमशः कडिका 5.1 एवं 5.2 अनुसार) के आधार पर मेरिट सूची/समेकित मेरिट सूची एम0पी0 ऑन-लाईन द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

04 : एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रवेश आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना।

आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए पंजीयन एवं महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। पंजीकृत आवेदकों को निर्धारित हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन तथा बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु क्रमशः फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी के गुणानुक्रम एवं महाविद्यालय की व्यक्त वरीयता आधार पर मेरिट सूची के ऑनलाईन प्रकाशन उपरान्त प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ, सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) जारी किये जावेंगे।

05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश

प्रवेश के लिए आवेदक को आवंटित महाविद्यालय के लिए निर्धारित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित संबंधित महाविद्यालय के नाम बनाकर शासकीय संबद्ध हेल्प सेंटर में जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क : आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक हैं।



2.1 शैक्षणिक योग्यता :

(अ) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु—

प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या/अथवा स्नातकोत्तर विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी या तकनीकी में विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हतावाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

**प्रवेश प्रक्रिया**—अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी०एड० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ब) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु—

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०एड०/बी०ए०बी०एड०/बी०एससी०बी०एड०/बी०एल०एड० अथवा डी०एल०एड० के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

**प्रवेश प्रक्रिया**—अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम०एड० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।




(स) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु—

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। अथवा 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

**प्रवेश प्रक्रिया**—अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।



(द) एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु-

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

**प्रवेश प्रक्रिया** :- एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में ऑन लाइन प्रवेश, अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक, स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(इ) बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

प्रवेश हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

वांछनीय : यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

**प्रवेश प्रक्रिया** :- अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एड.-एम.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(फ) बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक योग्यता :

पाठ्यक्रम	योग्यता	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी. बी.एड.	बी.एल.एड.
शैक्षणिक / पात्रता		उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	हायर सेकेंड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

2.2 निर्धारित कार्य दिवस :- समस्त पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस होना आवश्यक है। बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. तथा बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश एवं परीक्षा अवधि को छोड़कर यह अवधि न्यूनतम 200 तथा बी.ए.बी.एड. एवं बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिये 250 दिवस और एकीकृत तीन वषीय बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु 215 कार्य दिवसों की है।

2.3 शुल्क :- आवंटित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रथम वर्ष का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से प्रवेश के समय आवेदकों द्वारा चिन्हित शासकीय हेल्प सेंटर पर देय होगा। आगामी वर्षों में शेष निर्धारित शुल्क सीधे अध्ययनरत् महाविद्यालय को देय होगा।

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073/240/सीसी/14/अड्डीस, दिनांक 30.06.14 की मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रुपये 5,000/- (रु. पांच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं एवं शेष निर्धारित शुल्क का भुगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते हैं, परन्तु छात्रवृत्ति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे। समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा।

2.4 प्रावधिक आवेदकों हेतु प्रक्रिया :-

(1) ऐसे विद्यार्थी जिनकी अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, वे प्रावधिक आवेदक के रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऐसे समस्त आवेदकों को निर्धारित समयावधि में एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर काउंसलिंग हेतु पंजीयन कराना होगा। परन्तु प्रावधिक आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन से पूर्व हेल्प सेंटर पर उपस्थित

होकर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कराना अनिवार्य होगा। प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाईन करने के पश्चात् ही आवेदक प्रवेश काउंसलिंग हेतु दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा। अतः अर्हताकारी परीक्षा वांछित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में प्रावधिक आवेदक को हेल्प सेंटर पर अंकसूची के साथ निश्चित तिथियों में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अंकों की प्रविष्टि दर्ज कराना होगा।

(2) उपरोक्तानुसार पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् आवेदक को नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया एवं शारीरिक शिक्षण के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फिटनेस टेस्ट/प्रोफिसियंसी टेस्ट (बी.पी.एड./एम.पी.एड. हेतु लागू) में भी सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(3) प्रावधिक आवेदक को प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व अथवा अर्हताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में तत्समय काउंसलिंग हेतु उपलब्ध द्वितीय/तृतीय चरण हेतु पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करने की निर्धारित समयावधि में हेल्प सेंटर पर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक (आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त होने की स्थिति में) दर्ज कराते हुए दस्तावेजों के सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे एवं ऐसे आवेदक उपलब्ध चरण में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्त रह गए स्थानों के लिए ही अपनी वरीयताएं व्यक्त कर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(4) समस्त प्रावधिक आवेदकों को एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन, 2014 के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रावधिक रूप से फिटनेस टेस्ट/प्रोफिसियंसी टेस्ट में सम्मिलित होने के उपरांत भी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

(5) प्रावधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि न करने, अथवा निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की स्थिति में उनकी प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रहेगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

### 3. सीटों का आरक्षण :

#### 3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ -मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

संक्र०	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	18 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब -मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों के 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

### 3.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों /नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

3.2.3 निःशक्तजन (विकलांग) : कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



- 3.2.4 विधवा/परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।
- 3.3 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.4 संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न - प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)
- 3.5 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।
- 3.6 तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.7 तृतीय चरण में ही बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म0प्र0 राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.8 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएँगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर आवंटन किया जायेगा।

#### 4. आवेदन हेतु महत्त्वपूर्ण तिथियां एवं दस्तावेजों का सत्यापन :

- 4.1 निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण-पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का गिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाईन आवेदन का मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑन लाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

टीप - आवेदक की अंकसूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10 वी/11 वी की अंकसूची से अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाय।

4.2 एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से आवेदकों के ऑनलाईन प्रवेश हेतु प्रक्रिया एवं समय सारिणी :

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	विज्ञापन का प्रकाशन/महाविद्यालयों की सूची का प्रकाशन	01.04.2019 सोमवार	03.04.2019 बुधवार
<b>प्रथम चरण</b>			
2	(अ) आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन/ (वरीयता व्यक्त करना)	04.04.2019 गुरुवार	12.04.2019 शुक्रवार
	(ब) पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन	04.04.2019 गुरुवार	15.04.2019 सोमवार
3	बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	15.04.2019 सोमवार	16.04.2019 मंगलवार
4	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	18.04.2019	गुरुवार
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	25.04.2019	गुरुवार
6	आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	25.04.2019 गुरुवार	30.04.2019 मंगलवार
7	प्रथम चरण पश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	01.05.2019	शुक्रवार
<b>द्वितीय चरण</b>			
8	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सकते हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)। (ब) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/ वरीयता प्राप्त करना	02.05.2019 गुरुवार	08.05.2019 शुक्रवार
	(स) नवीन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन	02.05.2019 गुरुवार	09.05.2019 गुरुवार
9	नवीन पंजीकृत आवेदकों का बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	10.05.2019 शुक्रवार	11.05.2019 शनिवार
10	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	13.05.2019	सोमवार
11	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	20.05.2019	सोमवार
12	आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	20.05.2019 सोमवार	25.05.2019 शनिवार
13	द्वितीय चरण पश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	27.05.2019	सोमवार
<b>तृतीय चरण</b>			
14	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सकते हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)। (ब) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/ वरीयता प्राप्त करना। (स) नवीन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन	28.05.2019 मंगलवार	01.06.2019 शनिवार
		28.05.2019 मंगलवार	03.06.2019 सोमवार
15	नवीन पंजीकृत आवेदकों का बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	03.06.2019 सोमवार	04.06.2019 मंगलवार
16	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	08.06.2019	गुरुवार
17	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	14.06.2019	शुक्रवार
18	आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	14.06.2019 शुक्रवार	21.06.2019 शुक्रवार

4.3 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

1. ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत कराने के पश्चात् आवेदकों को प्रदेश के चयनित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालयों पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। इसके लिये आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र (Acknowledgement Slip) के साथ हेल्प सेंटर पर स्वयं उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों को अभिप्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा। दर्ज जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा सत्यापन करने के बाद हेल्प सेंटर के अधिकारी (Online Verification Slip) प्रदान करेंगे एवं प्रमाण स्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ हेल्प सेंटर की सील भी लगायेंगे। इस (Online Verification Slip) पर आवेदक को भी हस्ताक्षर करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय समस्त आवेदकों से (Acknowledgement Slip) परमुद्रित वचन-पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदकों के दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित हुए हैं, अथवा नहीं, इसके लिए आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर, पोर्टल पर स्वयं जांच कर सकेंगे।
3. आवेदक के पास मूल टी.सी./भाइडेशन नहीं होने पर प्रदेश मार्गदर्शिका में प्रावधान अनुसार प्रपत्र 11 भरवा कर लिया जाए।
4. मूल अंकसूची न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (गोपनीय) या कुलसचिव के हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित नेट की अंकसूची मान्य होगी।
5. एन.सी.टी.ई. के बी.एच. तथा अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों/हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि में सुधार के पश्चात् आवेदकों को हेल्प सेंटर के माध्यम से अभिलेखों का पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसे आवेदक प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
6. अन्य राज्यों के आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों (सहायता केन्द्रों/हेल्प सेंटर) में स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा।
7. आवेदकों को निम्न दस्तावेजों में जो भी लागू हो उनका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा -
  - अ. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
  - ब. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची- ऐसे आवेदक जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं इस आधार पर एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं, उनकी 12वीं कक्षा की नेट की अंकसूची मान्य होगी, तथा उसी आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए जिससे कि आवेदक प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकें। साथ ही सीट आवंटन पत्र के साथ प्रवेश के समय मूल अंक सूची का संबंधित सेंटर पर अवलोकन अनिवार्यतः करना सुनिश्चित करना होगा।
  - स. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण-पत्र
  - द. MOPRO स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप 5 अनुसार)

इ. नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) के आवेदकों के लिये (प्रपत्र-8) (मध्यप्रदेश शासन समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-28/2006/आ.प्र./एक मोपाल, दिनांक 02.11.2017 के अनुसार)

फ. खेलकूद संबंधी मान्य उल्लेखित प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

ड. फोटो पहचान पत्र - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, फोटो युक्त अंकसूची में से कोई एक अथवा अन्य कोई जो तत्समय निर्दिष्ट किया जावे। (उक्त फोटो पहचान पत्र आवेदक को प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।

4.4 (1) प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण दिनांक ..... तक आवेदकों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थानों का ध्यान (वरीयता व्यक्त करना) किया जा सकता है। पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा दिनांक .....

5. मेरिट सूची (केवल सत्यापित आवेदकों के लिये) :

5.1 बी.पी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदकों को अनिवार्यतः फिटनेस टेस्ट (संलग्न परिशिष्ट 1(अ) एवं 1(ब) अनुसार) में भी सम्मिलित होना होगा एवं इसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं, जिसमें आवेदक को न्यूनतम 24 अंक प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदकों को उनके द्वारा चयनित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम 40 तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। इस प्रकार कुल 125 अंकों में से समेकित प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

स.क्र	विषय	कुल अंक
1	फिटनेस टेस्ट	60 अंक
2	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक	40 अंक
	a. 60 प्रतिशत एवं अधिक	: 40 अंक
	b. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम	: 30 अंक
	c. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम	: 20 अंक
	d. 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम	: 10 अंक
3	स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक	25 अंक
	a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।	: 15 अंक
	b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।	: 10 अंक
	c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो।	: 05 अंक
	कुल अधिकतम	125 अंक



5.2 फिटनेस टेस्ट : आवेदकों के लिए फिटनेस टेस्ट का आयोजन निर्दिष्ट हेल्प सेंटर द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि अनुसार किया जावेगा। इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी सुविधानुसार एक से अधिक हेल्प सेंटर का चयन प्राथमिकता क्रम से करना होगा। उपलब्ध आवेदकों की संख्यानुसार आवेदकों को फिटनेस टेस्ट हेतु हेल्प सेंटर आवंटित किया जावेगा। इसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जावेगी तथा आवेदक आवश्यक प्रविष्टि कर टेस्ट की तिथि एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदक को आवंटित हेल्प सेंटर पर स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर सम्मिलित होना होगा। फिटनेस टेस्ट में उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। (संलग्न : परिशिष्ट 1(अ) छात्रों एवं 1(ब) छात्राओं के लिए) फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित होते समय आवेदक को अनिवार्यतः स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप 10 अनुसार) एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप 9 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जावेगा एवं इसका दायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

फिटनेस टेस्ट में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाइन उसी दिन दर्ज की जावेगी। इसके लिए संबंधित हेल्प सेंटर को एम.पी. ऑनलाइन द्वारा लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

5.3 एम.पी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदकों को अनिवार्यतः स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट (संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार) में भी सम्मिलित होना होगा एवं इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं, जिसमें आवेदक को न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदकों को उनके द्वारा चयनित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम 50 तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। इस प्रकार कुल 125 अंकों में से समेकित प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी-

क्र.	विषय	कुल अंक
1	स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट	50 अंक
2	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक	50 अंक अधिकतम
	a. 60 प्रतिशत एवं अधिक	: 50 अंक
	b. 55 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम	: 40 अंक
	c. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 55 प्रतिशत से कम	: 30 अंक
	d. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम	: 20 अंक
3	स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक	25 अंक अधिकतम
	a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।	: 15 अंक
	b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।	: 10 अंक
	c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो।	: 05 अंक
	कुल अधिकतम अंक	125 अंक



- 5.4 स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट : आवेदकों के लिए स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट का आयोजन निर्दिष्ट हेल्प सेंटर द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि अनुसार किया जावेगा। इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी सुविधानुसार एक से अधिक हेल्प सेंटर का चयन प्राथमिकता क्रम से करना होगा। उपलब्ध आवेदकों की संख्यानुसार आवेदकों को स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट हेतु हेल्प सेंटर आवंटित किया जावेगा। इसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जावेगी तथा आवेदक आवश्यक प्रविष्टि कर टेस्ट की तिथि एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट के लिए आवेदक को आवंटित हेल्प सेंटर पर स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर सम्मिलित होना होगा। स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। (संलग्न : परिशिष्ट 2 अनुसार)

स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित होते समय आवेदक को अनिवार्यतः स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप 10 अनुसार) एवं धिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप 9 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जावेगा एवं इसका दायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाइन उसी दिन दर्ज की जावेगी। इसके लिए संबंधित हेल्प सेंटर को एम.पी. ऑनलाइन द्वारा लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

#### 6. ऑनलाइन काउन्सिलिंग :

- 6.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या दिनांक 01.04.2019 को एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

- 6.2 मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्ह आवेदकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

- प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन के लिए आवेदकों लिये पोर्टल शुल्क रु. 250/- (रु. दो सौ पचास), एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये रुपये 125/- (रु. एक सौ पच्चीस) देय होगा।

- प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत आवेदक को अभिस्वीकृति-पत्रक (Acknowledgement-Slip) जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।
- प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रत्येक चरणों में वरीयता व्यक्त करते समय रुपये 50/- (पचास) का शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा।
- ऐसे आवेदक जो अपना पंजीयन प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व नहीं करा सके, अथवा ऐसे प्राथमिक आवेदक जिनकी अर्हताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ हो, अपने अंकों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर के माध्यम से अद्यतन कर द्वितीय/तृतीय चरण के आवंटन से पूर्व निर्धारित तिथियों में अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर) कर प्रवेश प्रक्रियामें सम्मिलित हो सकते हैं। इन आवेदकों के प्रवेश शेष चरण में रिक्त रह गए स्थानों पर ही गुणानुक्रम अनुसार हो सकेंगे।

6.3 आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -

- आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- आवेदक के शहर अथवा गांव में स्थित इंटरनेट सुविधा से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

6.4 पंजीयन हेतु पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -

- इंटरनेट बैंकिंग से।
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।

आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस.एम. एस. द्वारा दी जायेगी किन्तु आवेदक संबंधित तिथियों पर स्वयं भी पोर्टल पर अवश्य चैक करें।

6.5 आवेदकों को पंजीयन करते समय बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु कम से कम 50 महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करना होगी। शेष अन्य पाठ्यक्रमों के लिये कम से कम 01 महाविद्यालय की सीमा निर्धारित है। आवेदकों की वरीयताओं एवं गुणानुक्रम अनुसार तथा आरक्षण का लाभ देते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की

जानकारी के साथ सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> पर जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय के नाम बनाकर संबंधित पाठ्यक्रम के हेल्प सेंटर पर जमा कराने एवं प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

## 7. सीट आवंटन एवं प्रवेश :

- 7.1 आवेदक एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट <https://hed.mponline.gov.in> पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्मतिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.2 ऑनलाइन सीट आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को आवंटित महाविद्यालय से संबंधित हेल्प सेंटर में ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक को प्रदत्त सत्यापन पत्रक, सीट आवंटन पत्र (दो प्रतियों में), मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो), शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. आवेदकों हेतु शासकीय चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी छायाप्रतियां भी साथ लेकर जाना होगा।
- 7.3 हेल्प सेंटर के प्राधिकृत अधिकारी/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति प्राप्त करने के साथ ही मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को निरस्त कर, उस पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। निरस्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) को वे अपने पास रखते हुए सीट आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। प्राप्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां एवं निरस्त टी.सी. आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य को हेल्प सेंटर द्वारा सौंप दी जायेगी (मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसे निरस्त नहीं करेंगे)। हेल्प सेंटर द्वारा प्रवेशित आवेदक की जानकारी ऑन लाइन पोर्टल पर भी अनिवार्यतः दर्ज की जावेगी।
- 7.4 राज्य शासन के आदेश क्रमांक 988/सीसी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/408/आउशि/सम्ब0/15 दिनांक 04.06.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् एवं वि0वि0 द्वारा

आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप में प्रावधिक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश ले सकेंगे। (प्रारूप 12 अनुसार) तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ए.टी.के. टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।

7.5 सत्र 2019-20 में प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑन लाईन किया जाएगा।

7.6 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है अथवा वरीयता वाले आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा। आवेदकों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से, बहुत सोच-समझ कर करें जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में सुनिश्चित हो सके।

7.7 यदि किन्ही दो आवेदकों के मेरिट अंक समान हैं, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।

7.8 वांछित दस्तावेजों एवं शुल्क राशि के ड्राफ्ट को जमा करने के पश्चात् आवेदक संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। आवेदक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय पत्र एवं पुस्तकालय-पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।

7.9 आरक्षित वर्ग के आवेदकों (केवल मध्यप्रदेश राज्य के आवेदक) की छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के प्रमाण, संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करने पर ही इन वर्गों के आवेदकों के ड्राफ्ट उन्हें सौंपे जावेंगे। अपरिहार्य कारणों से छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान से तदाशय का शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए ड्राफ्ट की अंतिम वैधता तिथि के 30 दिवस पूर्व सौंपे जाने की कार्यवाही की जावे।

8. प्रवेश का निरस्तीकरण: यदि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी के कारण प्रवेश पा लेता है अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है या उसके मूल प्रमाण-पत्रों अथवा दस्तावेजों का जाली पाया जाता है तब आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जायेगा और आवेदक द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि

जब्त कर ली जायेगी। ऐसे आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह कार्यवाही पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी की जा सकती है।

9. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/माइग्रेशन एवं शुल्क वापसी: आवंटित शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् उचित एवं न्यायोचित कारण का प्रमाण पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा प्रवेश निरस्त किया जायेगा। यदि छात्र द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तृतीय चरण प्रारंभ होने के पूर्व ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा तथा उसे स्थानांतरण/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र शुल्क सहित वापिस किया जायेगा साथ ही उसकी उस सीट को रिक्त माना जायेगा और रिक्त सीट आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से तृतीय चरण में आवेदक शेष रहने पर आवंटित की जायेगी।


#### 10. अन्य प्रक्रिया

- 10.1 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो हेल्प सेंटर संबंधित आवेदक को प्रवेश नहीं देंगे एवं इसकी लिखित सूचना अविलंब एम.पी. ऑनलाईन और आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को देंगे।
- 10.2 अग्रणी महाविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किये गये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश शुल्क के ड्राफ्ट सूचीबद्ध कर संबंधित महाविद्यालयों को कंडिका 7.8 का पालन करते हुए सौंपेंगे। समस्त शिक्षण संस्थाएं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से खाता खुलवायेंगे जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से बनाये गये ड्राफ्ट जमा करवा सकेंगे।
- 10.3 आरक्षित वर्ग (केवल MOPRO राज्य के आवेदक) की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) को प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर कंडिका 7.8 अनुरूप अंतरित की जायेगी। सामान्य वर्ग एवं बाह्य राज्यों के समस्त आवेदकों के ड्राफ्ट समय-समय पर चरण समाप्ति उपरांत संबंधित महाविद्यालयों को सौंपे जायेंगे।
- 10.4 संस्थाओं की किन्ही कारणवश संबद्धता समाप्त की जाती है तो विद्यार्थियों को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 10.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा। किसी भी तरह



- की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।
- 10.6 कंडिका 1.3 में उल्लेखित तिथियों के पश्चात् मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।
- 10.7 बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फिटनेस/प्रोफिसियंसी टेस्ट तथा प्रवेश के समय शासकीय चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
(प्रारूप 9 अनुसार)
- 10.8 एनसीटीई द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जावेगा।



  
अपर सचिव  
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग.....जिला..... मध्यप्रदेश  
 पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक .....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम :

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जाच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निवासियों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पति का नाम ..... के नाम निवासी है जो ..... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री ..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला ..... संभाग ..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 380/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र. -1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कड़िका क्रमांक 8 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

यह प्रमाण पत्र मुख्य अधिकारी द्वारा विधिम लागू एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे व कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और व ही स्वतन्त्र निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3(अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी  
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) ..... के पिता/माता हैं एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित ..... (पाठ्यक्रम का नाम) ..... (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नीसेना में..... पर पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नीसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

स्थान.....  
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के  
हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) .....के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित ..... (पाठ्यक्रम का नाम) ..... (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पर पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ..... पद पर सर्विस क्रमांक ..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ..... में हो चुकी है।

स्थान.....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)



प्रारूप-3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) ..... जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित ..... (पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष ..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती/..... आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से ..... (स्थान) तहसील ..... जिला ..... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

कार्यालय सील

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती ..... (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती ..... (आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती ..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate)पुत्र/पुत्री है।

(2) श्री/श्रीमती ..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला ..... (जिले का नाम) में संघारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक ..... पर पंजीकृत है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)




प्रारूप-5

स्थानीय निवासी हेतु  
स्व प्रमाणित घोषणा पत्र  
(स्टाम्प रहित कागज पर)

पेज  
स्व प्रमाणित

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु लगभग.....

वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती ..... एवं उम्र (लगभग) ..... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -
  1. श्री/कु ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
  2. श्री/कु ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें )
  1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ..... मोहल्ला ..... ग्राम .....  
..... रहसिल ..... जिला ..... में वर्ष ..... में पैदा हुआ/हुई हूँ।
  2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील .....  
..... जिला ..... में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।  
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहीं-कहीं निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
  3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम ..... कार्यालय का नाम .....  
..... विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
  4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित ..... नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में ..... पद पर ..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।  
( कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
  5. मैं केन्द्र शासन के ..... विभाग में ..... के पद पर ..... कार्यालय ..... तहसील ..... जिला ..... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।  
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
  6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ..... बीच) अधिकारी हूँ। ..... पद पर ..... कार्यालय/मंत्रालय ..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक ..... पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।  
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि ..... ) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....आत्मज/पति श्री ..... आयु .....वर्ष निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कड़िका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। हरमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक .....वर्ष .....को स्थान .....में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जाये)




प्रारूप-6

स्व प्रमाणित आय का घोषणा पत्र  
(सादे कागज़ पर)

मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु ..... वर्ष घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम ..... में ..... हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं -  
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....  
(परिवार से आश्रय पति/पत्नि/अव्यक्त पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
7. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र राशि ..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... आत्मज/पत्नि श्री ..... आयु ..... वर्ष निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की कड़िका 3 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... को स्वयं ..... में किया गया।

हस्ताक्षर



बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi\*/Kumari\* \_\_\_\_\_  
Son/daughter\* of \_\_\_\_\_  
of village/town\* \_\_\_\_\_

in District/Division\* \_\_\_\_\_ of the State/Union

Territory\* \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ Caste/ Tribe\* which is recognized as a  
Scheduled Caste Scheduled Tribe\*

Under:

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

\*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

\*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

\*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.)

\*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

\*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;

\*The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

\*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

\*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

\*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

\*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;]

\*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order,

1978; \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; \*The Constitution (Jammu and Kashmir)

Scheduled Tribes Order, 1989. \*The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. \*The

Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. \*The Constitution (Scheduled Tribes) Order

Second Amendment Act, 1991.

\*This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes

Certificate issued to Shri/Shrimathi\* \_\_\_\_\_

father/mother\* of Shri/Shrimathi/Kumari\* \_\_\_\_\_ of

village/town\* \_\_\_\_\_ in District/Division\* \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\*

who belong to the Caste/Tribe\* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* in the State/Union  
Territory\* \_\_\_\_\_ issued by the \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Shri/Shrimathi\*/Kumari\* \_\_\_\_\_ and/or\* his/her\* family ordinarily reside(s)

In village/town\* \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ District/Division\* of the

State/Union Territory\* of \_\_\_\_\_.

Signature \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

(With seal of office) State/Union Territory

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Note: The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

\*\* Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92) \*

प्रारूप-8

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ Son / Daughter of  
Shri / Smt. \_\_\_\_\_ of Village/Town \_\_\_\_\_  
District / Division \_\_\_\_\_ In the \_\_\_\_\_ State belongs to  
the \_\_\_\_\_ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93- BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ and/or his family ordinarily reside(s) in the  
\_\_\_\_\_ District / Division of \_\_\_\_\_ State. This is also to certify that he / she does not  
belong to the Persons/sections [Creamy Layer] mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of  
India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified  
vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate / Competent Authority

Seal

NOTE:

- (a) The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below.
  1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
  2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
  3. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

**चिकित्सा प्रमाणपत्र**

(मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

**For Admission in B.P.Ed./M.P.Ed.Course**

**MEDICAL CERTIFICATE**

(To be certified by a Registered Medical Officer)

1. Name:- \_\_\_\_\_ Sex:- \_\_\_\_\_ (M/F) Blood Gr. \_\_\_\_\_
2. Height (in cm):- \_\_\_\_\_ Weight (in kg):- \_\_\_\_\_
3. Physical appearance and Musculature:- Robust/Average/Weak
4. Previous History of Fracture or other Injuries (Give Details):-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. C.N.S.:- \_\_\_\_\_
6. C.V.S.:- \_\_\_\_\_
1. Respiratory System:- \_\_\_\_\_
2. Liver:- \_\_\_\_\_
3. Spleen:- \_\_\_\_\_
4. Hernia Site:- \_\_\_\_\_
5. Throat:- \_\_\_\_\_
6. Ears (Perforation/Discharge/Any other) :- \_\_\_\_\_
7. Hearing:- \_\_\_\_\_
8. Eyes:- \_\_\_\_\_ Vision (Without Glass):- \_\_\_\_\_  
Color Blind (Partial/Complete):- \_\_\_\_\_
9. Any Body deformity (Such as Kyphosis, Lordosis, Scoliosis, Knock Knee, Bow  
Legs Flat Feet etc):- \_\_\_\_\_
10. History of Epilepsy, Asthma, T.B., V.D., Allergy, etc:- \_\_\_\_\_
11. Sensibility to drugs ,if any :- \_\_\_\_\_

I certify that I have this day carefully examined (Name) \_\_\_\_\_

And have recorded my observation as given above. I am satisfied that he /she is fit/unfit for  
undergoing training in Physical Education which involves strenuous physical activities and  
competitive games. I further certify that the candidate has been inoculated/vaccinated for:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (a) Tetanus: _____     | (b) Typhoid : _____    |
| (c) Chickenpox : _____ | (d) Hepatitis-b: _____ |
| (e) Any Other: _____   |                        |

Signature of the Candidate

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Reg. No. \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Seal:

Date: \_\_\_\_\_




**फिजिकल फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा पत्र**

मैं..... (आवेदक का नाम) -----  
 -----(पिता /पति का नाम) -----आईडी क्रमांक - यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बी.पी.एड./ एमपी एड. हेतु फिजिकल फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट देने हेतु पूर्णरूप से स्वस्थ हूँ एवं मैं अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर इस टेस्ट में -----  
 ----- (टेस्ट सेंटर का नाम) स्थान ----- दिनांक-----  
 ----- पर सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। टेस्ट के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

इसके साथ ही नियमानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----  
 पता -----  
 -----  
 मोबाइल नंबर -----

दिनांक :

\* जो लागू ना हो उसे काट दें।




**प्रावधिक स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र का प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .....आत्मज/आत्मजा श्री ..... एवं श्रीमती ..... इस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का/की नियमित छात्र/छात्रा है तथा सत्र ..... से आज दिनांक तक स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत है। यह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है/रही है/सम्मिलित होगा/होगी। महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनकी जन्मतिथि ..... है।

नियमतः मूल स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र उनके वर्तमान पाठ्यक्रम की परीक्षा हो जाने के पश्चात् जारी किया जायेगा।

छात्र का चरित्र और चाल-चलन अच्छा है। यदि छात्र अपनी पात्रता के अनुसार और अपनी रुचि की संस्था में किसी उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है/लेती है तो इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी।  
दिनांक : .....

कार्यालय सहायक द्वारा अभिलेखों के आधार पर सत्यापित

अभिलेख का स्थापन

प्राचार्य/कुलसचिव  
(शासकीय/अशा. महा./वि.वि.)

**आवेदक का वचनपत्र**

मैं..... यह वचन देता हूँ कि यह प्रावधिक स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र मेरे आवेदन पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। निर्धारित तिथि तक मूल स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने/ATKT के कारण पाठ्यक्रम निरंतर रहने एवं आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त होने पर संपूर्ण दायित्व स्वयं का होगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि प्रवेश निरस्त होने पर जमा शुल्क वापस नहीं होगा।

टीप:- जो लागू न हो उसे काटें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....  
आवेदित पाठ्यक्रम का नाम .....  
पंजीयन क्रमांक.....





प्रावधिक आवेदकों द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र  
(प्रवेश निर्देश 2019 की कठिका 2.4 अनुसार)

1. मैं (आवेदक का नाम) \_\_\_\_\_ पिता/पति  
का नाम \_\_\_\_\_ पंजीयन क्रमांक \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ वचन देता हूँ/देती हूँ कि (अर्हकारी परीक्षा का नाम) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ के आधार पर मैं (सम्मिलित परीक्षा का नाम) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ की प्रवेश परीक्षा 2019 में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।
2. मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरी अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर मुझे प्रवेश निर्देश अनुसार सम्बंधित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर अपने प्राप्तांक MPOnline के पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
3. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि पूर्ववर्ती किसी भी सेमेस्टर में एटीकेटी नहीं है तथा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश हेतु पात्र रहूँगा/रहूँगी।
4. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में वांछित प्रतिशत प्राप्त नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से यदि मैं ऑनलाइन काउन्सिलिंग में निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए पंजीयन नहीं कर पाता हूँ तो मेरे प्रवेश पर विचार नहीं किया जावेगा तथा यह स्थिति मुझे मान्य होगी। मैं प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।
5. प्रवेश निर्देश 2019 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है तथा मैं इससे पूर्णतः सहमत होते हुए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ एवं ये मुझ पर बंधनकारी होंगे।
6. मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे द्वारा असत्य/झांझक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_



दिनांक :

परिशिष्ट -1(अ)

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु फिटनेस टेस्ट (छात्रों हेतु)  
\*NORMS FOR MODIFIED AAHPER YOUTH FITNESS TEST  
(BOYS)

MARKS	TEST ITEMS						MARKS
	50 Mts Dash (Sec)	Pull-Ups Overarm Grip (No.)	Bent Knee Sit-Ups (No.)	Shuttle Run 10x4mts (Sec)	Standing Broad Jump (Mts)	600 mts Run /Walk (Sec)	
10	5.49	16	67	7.60	3.00	99.00	10
9	5.87	15	61	8.13	2.89	102.64	9
8	6.23	13	55	8.66	2.78	106.68	8
7	6.63	11	50	9.19	2.67	110.52	7
6	7.01	10	44	9.72	2.56	114.36	6
5	7.39	8	38	10.25	2.45	118.20	5
4	7.77	6	33	10.78	2.34	122.04	4
3	8.15	5	27	11.31	2.23	125.88	3
2	8.53	3	21	11.84	2.12	129.72	2
1	8.91	1	15	12.37	2.01	133.56	1
0	9.29	0	10	12.90	1.90	137.40	0
MEAN	7.39	8.00	38.30	10.25	2.45	118.20	MEAN
S.D	0.54	2.39	8.18	0.75	0.16	5.48	S.D
SCALE INTERVAL	0.38	1.67	5.73	0.53	0.11	3.84	SCALE INTERVAL

Formula for converting performance into Marks (i.e. raw score into scale value)

$$\text{Marks} = (ZV - X) / SI \quad \text{For test items (50 Mts, Shuttle Run \& 600 Mts Run/Walk)}$$

$$\text{Marks} = (X - ZV) / SI \quad \text{For test items (Pullups, Situps \& St. Broad Jump)}$$

Where, X= Actual Performance in the test  
ZV = Zero value of the scale in particular test  
SI = Scale Interval of the particular test

Note: The highest and lowest marks for any performance in any test item will be 10 & 0 respectively.

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु फिटनेस टेस्ट (छात्राओं हेतु)

\*NORMS FOR MODIFIED AAHPER YOUTH FITNESS TEST  
(GIRLS)

MARKS	TEST ITEMS						MARKS
	50 mts Dash (Sec)	Inclined Pull-Ups Overarm Grip (No.)	Bent Knee Sit-Ups (No.)	Shuttle Run 10x4mts (Sec)	Standing Broad Jump (Mts)	500 mts Run /Walk (Sec)	
10	6.19	70	48	9.03	2.65	102.15	10
9	6.74	64	44	9.65	2.47	113.28	9
8	7.29	58	39	10.27	2.29	124.41	8
7	7.84	52	34	10.89	2.11	135.54	7
6	8.39	46	30	11.51	1.93	146.67	6
5	8.94	40	25	12.13	1.75	157.80	5
4	9.49	34	20	12.75	1.57	168.93	4
3	10.04	28	16	13.37	1.39	180.06	3
2	10.59	22	11	13.99	1.21	191.19	2
1	11.14	16	7	14.61	1.03	202.32	1
0	11.69	10	2	15.23	0.85	213.43	0
MEAN	8.94	39.9	25.10	12.13	1.75	157.80	MEAN
S.D	0.78	8.69	6.62	0.88	0.25	15.90	S.D
SCALE INTERVAL	0.55	6.08	4.63	0.62	0.18	11.13	SCALE INTERVAL

Formula for converting performance into Marks (i.e. raw score into scale value)

$$\text{Marks} = (ZV - X) / SI \quad \text{For test items (50 Mts, Shuttle Run \& 500 Mts Run/Walk)}$$

$$\text{Marks} = (X - ZV) / SI \quad \text{For test items (Pullups, Situps \& St. Broad Jump)}$$

Where, X = Actual Performance in the test

ZV = Zero value of the scale in particular test

SI = Scale Interval of the particular test

Note: The highest and lowest marks for any performance in any test item will be 10 & 0 respectively.

एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु स्पोर्ट्स, प्रोफिशियेंसी टेस्ट

कुल अधिकतम अंक : 50

निम्नानुसार खेलों यथा हॉकी, फुटबॉल, क्वालीबॉल, बास्केट बॉल, टेनिस, बेडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, जूडो, हैंड बॉल, खो-खो, कबड्डी, स्वीमिंग, जिमनास्टिक, कुश्ती, वॉटलिफ्टिंग, योगा, ट्रेक एंड फील्ड (एक ट्रेक एवं एक फील्ड इवेंट) आदि में से किसी एक खेल का चयन प्रोफेशियेंसी टेस्ट हेतु आवेदक को करना होगा। उक्त परीक्षण हेतु आवेदक को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा एवं निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा।



बी.एड., बी.एल.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एस.सी.बी.एड., बी.एड.एम.एड., एकीकृत पाठ्यक्रम तथा एम.एड. हेतु सहायता केन्द्रों की सूची

List of Help Centres			
S.No.	District	HC NAME	City
1	Agar-Malwa	Govt. Nehru P.G. College	Agar-Malwa
2	Alirajpur	Govt. College	Alirajpur
3	Anuppur	Govt. Tufsi Degree College	Anuppur
4	Ashok Nagar	Govt. Nehru Degree College	Ashoknagar
5	Badwani	Govt. P.G. College	Badwani
6	Badwani	Govt. College	Sendhwa
7	Balaghat	Govt. Jatashankar Trivedi College	Balaghat
8	Betul	Govt. Jaywanti Haksar P.G. College	Betul
9	Bhind	Govt. Girls College	Bhind
10	Bhind	Govt. M.J.S.P.G. College	Bhind
11	Bhopal	Govt. Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Bhopal
12	Bhopal	Govt. Benazir College	Bhopal
13	Bhopal	Govt. Gitanjali Girls P.G. College	Bhopal
14	Bhopal	Govt. Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal
15	Bhopal	Govt. M.L.B. Girls College	Bhopal
16	Bhopal	Govt. P.G. College, Bhel	Bhopal
17	Bhopal	Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College	Bhopal
18	Buchanpur	Govt. Jawaharlal Nehru College	Nepanagar
19	Chhatarpur	Govt. Girls College	Chhatarpur
20	Chhatarpur	Govt. Maharaja College	Chhatarpur
21	Chhindwara	Govt. P.G. College	Chhindwara
22	Damoh	Govt. P.G. College	Damoh
23	Datia	Govt. Girls College	Datia
24	Datia	Govt. P.G. College	Datia
25	Datia	Govt. College Indargarh	Datia
26	Dewas	Govt. Krishnaji Rao Pawar P.G. College	Dewas
27	Dhar	Govt. P.G. College	Dhar
28	Dindori	Govt. Chandravijay College	Dindori
29	Guna	Govt. P.G. College	Guna
30	Gwalior	Govt. Adarsh Science College	Gwalior
31	Gwalior	Govt. Bhagawat Sahay College	Gwalior
32	Gwalior	Govt. Kamtaraje Girls P.G. College	Gwalior
33	Gwalior	Govt. M.L.B Arts and Commerce College	Gwalior
34	Gwalior	Govt. Virangna Jhalkari Bai Girls College	Gwalior
35	Harda	Govt. Arts and Commerce College	Harda
36	Hoshangabad	Govt. Home Science Girls P.G. College	Hoshangabad
37	Hoshangabad	Govt. Narmada College	Hoshangabad
38	Indore	Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela	Indore
39	Indore	Govt. Holkar Science College	Indore



40	Indore	Govt. Nutan Girls P.G. College, Kilabhawan	Indore
41	Indore	Shri Atal Bihari Vajpai Govt. Arts and Commerce College	Indore
42	Jabalpur	Govt. M H Home Science Girls P.G. College	Jabalpur
43	Jabalpur	Govt. M K B Arts and Commerce College	Jabalpur
44	Jabalpur	Govt. Mahakaushal Arts and Commerce College	Jabalpur
45	Jabalpur	Govt. Science College	Jabalpur
46	Jhabua	Govt. Shahid Chandrshekhari P.G. College	Jhabua
47	Katni	Govt. Tilak College	Katni
48	Xhandwa	Govt. Shri Nilkantheshwar P.G. College	Xhandwa
49	Khargone	Govt. P.G. College	Khargone
50	Mandla	Govt. Rani Durgawati College	Mandla
51	Mandsaur	Govt. P.G. College	Mandsaur
52	Morena	Govt. PG College Morena	Morena
53	Morena	Govt. Girls College	Morena
54	Narsinghpur	Govt. P.G. College	Narsinghpur
55	Neemuch	Swami Vivekanand Govt. P.G. College	Neemuch
56	Panna	Govt. Chhatrasal P.G. College	Panna
57	Raisen	Govt. Swami Vivekanand College	Raisen
58	Rajgarh	Govt. College	Rajgarh
59	Ratlam	Govt. Arts and Science P.G. College	Ratlam
60	Rewa	Govt. Girls P.G. College	Rewa
61	Rewa	Govt. Law College	Rewa
62	Rewa	Govt. Thakur Ranmat Singh College	Rewa
63	Sagar	Govt. Arts and Commerce College	Sagar
64	Sagar	Govt. Girls P.G. College	Sagar
65	Satna	Govt. Girls College	Satna
66	Satna	Govt. P.G. College	Satna
67	Sehore	Chandra Shekhar Azad Govt. P.G. College	Sehore
68	Seoni	Govt. P.G. College	Seoni
69	Shahdol	Govt. Indira Gandhi College	Shahdol
70	Shajapur	Govt. Balkrishna Sharma Navin P.G. College	Shajapur
71	Sheopur	Govt. College	Sheopur
72	Shivpuri	Govt. P.G. College	Shivpuri
73	Sidhi	Govt. Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi
74	Sidhi	Govt. Girls College Sidhi	Sidhi
75	Singroli	Govt. College	Waidhan
76	Tikamgarh	Govt. P.G. College	Tikamgarh
77	Ujjain	Govt. Kalidas Girls College	Ujjain
78	Umariya	Govt. College	Umariya
79	Vidisha	Govt. Girls College	Vidisha
80	Ujjain	Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidhyalaya, Ujjain	Ujjain

बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर्स) की सूची

List of Help Centres For B.P.Ed./M.P.Ed.

S.No.	District	HC NAME	City
1.	Bhopal	Physical Education Department, Barkatullah University	Bhopal
2.	Chhatarpur	Physical Education Department, Chhatrasal Bundelkhand University	Chhatarpur
3.	Gwalior	Physical Education Department, Jiwaji University	Gwalior
4.	Indore	Physical Education Department, Devi Ahilya University	Indore
5.	Jabalpur	Physical Education Department, Rani Durgavati University	Jabalpur
6.	Rewa	Physical Education Department, APS University	Rewa
7.	Ujjain	Department of Continuing Education, Vikram University	Ujjain




आरक्षण-तालिका

मध्य प्रदेश में स्थित अशासकीय बी.एड. महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा (सत्र 2019-20 के लिए एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची प्राप्त होने पर सीट संख्या में परिवर्तन संभव है)-

विवरण	पाठ्यक्रम का नाम				
	बी.एड.	एम.एड.	बी.पी.एड.	एम.पी.एड.	बी.एड.एम. एड. (एकीकृत)
महाविद्यालयों की कुल संख्या (एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्य)	720	90	36	15	06
अनुमानित कुल सीट संख्या	64200	4485	3700	395	300
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	16050	1121	925	99	75
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	2408	168	139	15	11
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	1204	84	69	07	6
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	4333	303	250	27	20
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	8150	566	467	50	38
म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु 75%	48150	3364	2775	296	225
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 18%	7704	538	444	47	36
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	9630	673	555	59	45
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	6741	471	389	41	32
म0प्र0 राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	24075	1682	1387	149	112

विवरण	पाठ्यक्रम का नाम		
	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी.बी.एड.	बी.एल.एड.
महाविद्यालयों की कुल संख्या (एन-10सीटीपीईओ द्वारा मान्य)	48	40	03
अनुमानित कुल सीट संख्या	3500	2660	150
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	875	720	38
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनुभवाजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	131	108	06
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनुभवाजनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	66	54	03
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	238	194	10
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	442	364	19
मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों हेतु 75%	2625	2160	112
मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों में से अनुभवाजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 18%	420	346	18
मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों में से अनुभवाजनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	525	432	22
मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	368	302	16
मध्य प्रदेश राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	1312	1080	56

मानक 100 सीटों के आधार पर आरक्षण निम्नानुसार होगा -

मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों के लिए				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए				कुल सीट
75 सीट				25 सीट				
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुभवाजाति	अनुभवाजनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुभवाजाति	अनुभवाजनजाति	
38	10	12	15	12	07	04	02	100

1. महिलाओं के लिए 30 एवं मध्य प्रदेश राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न सवर्ग जैसे - नि:शक्त जन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक-पृथक 05% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 01% सैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
2. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड.  
बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रम  
अकादमिक-कैलेंडर 2019-20

अकादमिक कार्य	प्रथम/तृतीय सेमेस्टर	द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर
कक्षाएं प्रारंभ	01 जुलाई, 2019	16 दिसंबर, 2019
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई से 02 नवंबर 2019 (100 दिवस)	16 दिसंबर, 2019 से 20 अप्रैल 2020 (100 दिवस)
प्रायोगिक परीक्षाएं	25 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2019	15 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2020
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	06 से 09 नवंबर, 2019	26 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2020
सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाएं	10 नवंबर से 30 नवंबर, 2019	01 मई से 20 मई, 2020
परीक्षा परिणाम	15 दिसंबर, 2019	05 जून, 2020
सेमेस्टर अंतराल (विद्यार्थियों हेतु)	01 से 15 दिसंबर, 2019	20 मई से 30 जून, 2020

टीप :

1. प्रत्येक वर्ष विषम एवं सम सेमेस्टर हेतु क्रमशः माह अगस्त/फरवरी में महाविद्यालयीन गतिविधियों/शैक्षणिक गतिविधियों संपन्न कराई जावे।
2. अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शैक्षणिक काल खंडों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जावे ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समय अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के रेग्यूलेशन 2014 के अनुपालन में निर्धारित 200 शैक्षणिक दिवस एवं अन्य निर्दिष्ट गतिविधियों तदनुसार संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु भी समयावधि तदनुसार लागू होगी।

**बी.एड., बी.एल.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.  
बी.ए.सी.एड., बी.एस.सी.बी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत) तथा एम.एड. पाठ्यक्रम  
2019-20 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी**

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	विज्ञापन का प्रकाशन/महाविद्यालयों की सूची का प्रकाशन	01.04.2019 सोमवार	03.04.2019 शुक्रवार
<b>प्रथम चरण</b>			
2	(अ) आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन/ (वरीयता व्यक्त करना)	04.04.2019 गुरुवार	12.04.2019 शुक्रवार
	(ब) पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	04.04.2019 गुरुवार	15.04.2019 सोमवार
3	बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	15.04.2019 सोमवार	16.04.2019 मंगलवार
4	सम्बन्धित मेरिट सूची का प्रकाशन	16.04.2019	गुरुवार
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	25.04.2019	गुरुवार
6	आर्बिट्रेट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	25.04.2019 गुरुवार	30.04.2019 मंगलवार
7	प्रथम चरण परश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	01.05.2019	शुक्रवार
<b>द्वितीय चरण</b>			
8	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु भूषानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)। (ब) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/ वरीयता प्राप्त करना	02.05.2019 गुरुवार	08.05.2019 शुक्रवार
	(स) नवीन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	02.05.2019 गुरुवार	09.05.2019 गुरुवार
9	नवीन पंजीकृत आवेदकों का बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	10.05.2019 शुक्रवार	11.05.2019 शनिवार
10	सम्बन्धित मेरिट सूची का प्रकाशन	13.05.2019	सोमवार
11	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	20.05.2019	सोमवार
12	आर्बिट्रेट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	20.05.2019 सोमवार	25.05.2019 शनिवार
13	द्वितीय चरण परश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	27.05.2019	सोमवार
<b>तृतीय चरण</b>			
14	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु भूषानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)। (ब) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/ वरीयता प्राप्त करना। (स) नवीन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	28.05.2019 मंगलवार	01.06.2019 शनिवार
15	नवीन पंजीकृत आवेदकों का बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमरा: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	03.06.2019 सोमवार	04.06.2019 मंगलवार
16	सम्बन्धित मेरिट सूची का प्रकाशन	06.06.2019	गुरुवार
17	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	14.06.2019	शुक्रवार
18	आर्बिट्रेट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	14.06.2019 शुक्रवार	21.06.2019 शुक्रवार